प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मुझे अपने आधार के लिए पहचान और पते के दस्तावेज़ क्यों जमा करना चाहिए?

पहचान के लिए अपडेटेड सहायक दस्तावेज और आधार के लिए पता आपको जीवनयापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और सटीक प्रमाणीकरण के लिए सक्षम बनाते हैं। इसलिए नवीनतम पहचान और पते के दस्तावेज जमा करना आधार नंबर धारक के हित में है।

2. मुझे अपनी पहचान और पते के लिए कौन से दस्तावेज़ जमा करने चाहिए?

पहचान और पते दोनों के लिए दस्तावेज़:

(1) राशन कार्ड

(2) मतदाता पहचान पत्र

(3) किसान फोटो पासबुक

(4) भारतीय पासपोर्ट

(5) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र[1], एसटी/एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र या विवाह प्रमाण पत्र, जिसमें फोटो हो

(6) विकलांगता पहचान पत्र / विकलांगता का प्रमाण पत्र[2]

(7) ट्रांसजेंडर पहचान पत्र/प्रमाणपत्र[3]

(8) यौनकर्मी के संबंध में यूआईडीएआई के मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र[4]

(9) मान्यता प्राप्त आश्रय गृहों या अनाथालयों द्वारा यूआईडीएआई के मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र

(10) जेल अधिकारी द्वारा जारी कैदी इन्डक्शन डाक्यूमेन्ट

पहचान के लिए दस्तावेज़:

(1) फोटो युक्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र

(2) मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी फोटो युक्त अंकपत्र/प्रमाण पत्र

(3) पैन/ई–पैन कार्ड

(4) सरकार/वैधानिक निकाय/पीएसयू द्वारा जारी कर्मचारी/पेंशनभोगी फोटो पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश या मेडी–क्लेम कार्ड

(5) ड्राइविंग लाइसेंस

(6) स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र

पते के लिए दस्तावेज़:

(1) बिजली, पानी, गैस या टेलीफोन/मोबाइल/ब्रॉडबैंड बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)

(2) फोटोयुक्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/डाकघर पासबुक पर विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर लगी हुई

(3) विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / डाकघर खाता / क्रेडिट–कार्ड विवरण (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)

(4) वैध किराया, पट्टा या लीव एवं लाइसेंस समझौता

(5) सांसद, विधायक, एमएलसी, नगर पार्षद, समूह 'ए' या 'बी' राजपत्रित अधिकारी, ईपीएफओ अधिकारी या तहसीलदार द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र

(6) ग्राम पंचायत प्रधान/सचिव, ग्राम राजस्व अधिकारी या समकक्ष (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में जारी प्रमाण पत्र

(7) संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख द्वारा यूआईडीएआई मानक प्रमाण पत्र प्रारूप में एक छात्र को जारी किया गया प्रमाणपत्र

(8) संपत्ति कर रसीद (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)

(9) वैध पंजीकृत बिक्री समझौता या उपहार विलेख

(10) सरकार/वैधानिक निकाय/पीएसयू द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)

(11) जीवन या चिकित्सा बीमा पॉलिसी (एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं)

1.भामाशाह, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन आधार, मनरेगा/एनआरईजीएस जॉब कार्ड, श्रमिक कार्ड आदि।

2. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के तहत जारी किया गया

3. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जारी किया गया

4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के राजपत्रित अधिकारी या राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक द्वारा जारी किया गया

3. मैं दस्तावेज़ कैसे जमा कर सकता हूँ?

दस्तावेज़ myAadhaar पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर ऑनलाइन या किसी भी आधार केंद्र पर जमा किए जा सकते हैं।

4. मैं दस्तावेज़ ऑनलाइन कैसे जमा कर सकता हूँ?

(1) https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर जाएं और अपने आधार नंबर और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके लॉग इन करें।

(2) अपनी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित अपनी पहचान और पते के विवरण की जाँच करें।

(3) यदि आपकी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित विवरण गलत हैं, तो नीचे प्रश्न 5 के उत्तर में बताए अनुसार कार्रवाई करें।

(4) यदि आपकी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित विवरण सही हैंतो कृपया 'मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त विवरण सही हैं' टैब पर क्लिक करें।

(5) ड्रॉप-डाउन मेनू से वह पहचान दस्तावेज़ चुनें जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं।

(6) अपना पहचान दस्तावेज अपलोड करें (आकार 2 एमबी से कम; फ़ाइल प्रारूप: जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ)

(7) ड्रॉप-डाउन मेनू से वह पता दस्तावेज़ चुनें जिसे आप सबमिट करना चाहते हैं।

(8) अपना पता दस्तावेज़ अपलोड करें (आकार 2 एमबी से कम; फ़ाइल प्रारूप: जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ)।

(9) अपनी सहमति प्रस्तुत करें।

5. यदि मेरी प्रोफ़ाइल में प्रदर्शित पता मेरे वर्तमान पते से मेल नहीं खाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

(1) कृपया 'मैं सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त विवरण सही हैं' टैब के नीचे 'यदि पते में कोई विसंगति है, तो यहां क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें।

(2) प्रदर्शित फॉर्म में पते का विवरण भरें।

(3) ड्रॉप-डाउन मेनू से वह पता दस्तावेज़ चुनें जिसे आप अपलोड करना चाहते हैं।

(4) अपना पता दस्तावेज़ अपलोड करें (आकार 2 एमबी से कम; फ़ाइल प्रारूप: जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ)।

(5) आवश्यक भुगतान करें.

(6) अपना अनुरोध सबमिट करें।

6. यदि कोई पहचान विवरण (नाम, लिंग या जन्म तिथि) मेरे वास्तविक पहचान विवरण से मेल नहीं खाता है, तो मुझे क्या करना चाहिए?

कृपया https://uidai.gov.in/images/commdoc/List_of_Supporting_Document_for_Aadhaar_Enrolment_and_Update.pdf

पर सूचीबद्ध मूल पहचान दस्तावेजों के साथ आधार केंद्र पर जाएं।

7. यदि मैं दस्तावेज़ ऑफ़लाइन जमा करना चाहता हूं, तो मैं आधार केंद्र कैसे ढूंढ सकता हूं?

(1) कृपया https://bhuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/ परजाये।

(2) आस-पास के आधार केंद्रों का पता लगाने के लिए, 'आस-पास केंद्र' टैब पर क्लिक करें। आस-पास के आधार केंद्र देखने के लिए अपने का स्थान विवरण दर्ज करें।

(3) अपने पिन कोड क्षेत्र के भीतर आधार केंद्रों का पता लगाने के लिए, 'पिन कोड द्वारा खोजें' टैब पर क्लिक करें। उस क्षेत्र में आधार केंद्र देखने के लिए अपने क्षेत्र का पिन कोड दर्ज करें।

8. दस्तावेज़ जमा करने का शुल्क क्या है?

14.06.2024 तक myAadhaar पोर्टल पर दस्तावेज़ जमा करना निःशुल्क है।

आधार केंद्र पर दस्तावेज़ जमा करने के लिएलागू शुल्क रु. 50 है।

9. मुझे दस्तावेज़ कब तक जमा करना चाहिए?

जीवनयापन में आसानी, बेहतर सेवा वितरण और सटीक प्रमाणीकरण को सक्षम करने के लिए दस्तावेज़ों को अपडेट करना वांछनीय है। इसलिए दस्तावेज़ों को शीघ्र ही जमा करना आपके हित में है।

10. मैं एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हूं। मैं दस्तावेज़ कैसे जमा कर सकता हूँ?

जब भी आप भारत में हों तो आप दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं।